

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2015/चैत्र 16, 1937

No. 116]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2015/CHAITRA 16, 1937

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

सं. 109

सं. ईपी. 2(1)/2005-वोल्यू III.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 45 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद), विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. (i) निम्नलिखित विनियमों को भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन), विनियम 2015 कहें।
(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।
2. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 के परिशिष्ट-I में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:-
 - (i) 'भाग-X - विविध संवर्ग' में क्रमांक संख्या 5, 13, 18 तथा 30 पर दर्शाए गए सहायक महाप्रबंधक (हिंदी), प्रबंधक (हिंदी), सहायक श्रेणी-I (हिंदी) तथा सहायक श्रेणी-II (हिंदी) के पदों को उनके भर्ती नियमों के प्रावधानों सहित समाप्त कर दिया जाएगा।
 - (ii) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 के परिशिष्ट-I में 'भाग-X- विविध संवर्ग' के बाद 'भाग-XI - राजभाषा संवर्ग' के रूप में नया संवर्ग जोड़ा जाएगा जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-I में दिया गया है।

रविंदर कुमार जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./108/15]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजप. में दिनांक 8 5 1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किए गए :—

क्रम संख्या	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2007	15.05.2007
2.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2009	14.09.2009
3.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2010	20.03.2010
4.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010	16.07.2010
5.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010	20.07.2010
6.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010	23.11.2010
7.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2011	13.04.2011
8.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
9.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
10.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2013	27.06.2013
11.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
12.	भा.खा.नि. (कर्मचारीवृंद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014

परिशिष्ट-I

भाग-XI - राजभाषा संवर्ग

क्र. सं.	पदनाम	वर्तमान (₹)	भर्ती का माध्यम	पदोन्नति		सीधी भर्ती	आयु सीमा (वर्ष)	खाद्य महानिदेशालय में पदों की समकक्ष श्रेणी	टिप्पणी
				प्रवरण/अप्रवरण	अनुभव	अर्हता अनुभव यदि कोई हो तो			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्रेणी-I कर्षेद									
1.	महाप्रबंधक (हिंदी)	32900-58000 (आईडीए)	100% पदोन्नति द्वारा	प्रवरण	उप महाप्रबंधक (हिंदी) के रूप में 4 साल की नियमित सेवा।	-	-	-	-
2.	उप महाप्रबंधक (हिंदी)	24900-50500 (आईडीए)	100% पदोन्नति द्वारा	प्रवरण	सहायक महाप्रबंधक (हिंदी) के रूप में 5 साल की नियमित सेवा।	-	-	-	-
3.	सहायक महाप्रबंधक (हिंदी)	20600-46500 (आईडीए)	100% पदोन्नति द्वारा	प्रवरण	प्रबंधक (हिंदी) के रूप में 5 साल की नियमित सेवा।	-	-	-	-
श्रेणी-II कर्षेद									
4.	प्रबंधक (हिंदी)	16400-40500 (आईडीए)	75% पदोन्नति के द्वारा [सिमें विफल रहने पर सीधी भर्ती द्वारा 25% पदों को सीधी भर्ती द्वारा	प्रवरण	सहायक श्रेणी -I (हिंदी) के रूप में 3 साल की नियमित सेवा	-	-	-	-
						अनिवार्य योग्यता: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय सहित हिंदी में	35	-	-

						स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समतुल्य । <u>अथवा</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य । <u>अथवा</u> डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य । <u>अथवा</u> किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम तथा एक विषय के साथ हिंदी का अध्ययन तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समतुल्य । <u>अथवा</u> किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम तथा एक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य । (ii) हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के कार्य और/अथवा हिंदी से अंग्रेजी अथवा विलोमतः अनुवाद कार्य का 5 वर्ष का अनुभव वरीयतः तकनीकी अथवा वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद कार्य । <u>अथवा</u> हिंदी में शिक्षण, अनुसंधान लेखन अथवा पत्रकारिता का 5 वर्ष का अनुभव । <u>वांछनीय</u> (i) संस्कृत भाषा अथवा एक आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान । (ii) प्रशासनिक कार्य का अनुभव । (iii) हिंदी शिक्षण अथवा टिप्पणी एवं आलेखन के लिए कार्यशाला आयोजन का अनुभव ।			
श्रेणी-III कृषि									
5.	सहायक श्रेणी-I (हिंदी)	11100-29950 (आईडीए)	100% पदोन्नति द्वारा	अप्रवरण	सहायक श्रेणी-II (हिंदी) के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा ।	<u>अनिवार्य योग्यता:</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी / हिंदी सहित हिंदी/अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री । <u>अथवा</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री । <u>अथवा</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय	35	-	-

						से डिग्री स्तर पर हिंदी/अंग्रेजी माध्यम के रूप में तथा अंग्रेजी/हिंदी मुख्य विषय के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। <u>अथवा</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी अथवा किसी भी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर मुख्य विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी / हिंदी पढ़ी हो तथा परीक्षा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी हो। (ii) हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद करने का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र अथवा भारत सरकार के उपक्रमों सहित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी तथा विलोमतः अनुवाद करने का 2 वर्ष का अनुभव।			
6.	सहायक श्रेणी-II (हिंदी)	9900-25530 (आईडीए)	100 % सीधी भर्ती	-	-	<u>अनिवार्य योग्यताएं :</u> (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी मुख्य विषय के साथ स्नातक डिग्री। (2) अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त हो। (3) अंग्रेजी से हिंदी तथा विलोमतः अनुवाद कार्य का एक वर्ष का अनुभव। <u>वांछनीय:-</u> हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री।	28	-	-

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2015

No. 109

No. EP-2(1)/2005-Vol. III.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:—

1. (i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2015.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. The following amendments shall be made in Appendix - I of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971:-

(i) The posts of Asstt. Genl. Manager (Hindi), Manager (Hindi), Assistant Gr.I (Hindi) and Assistant Gr.II (Hindi) appearing at Serial Nos. 5, 13, 18 and 30 respectively in 'Part-X – Miscellaneous Cadre' shall be deleted along with provisions of recruitment rules thereof.

- (ii) A new cadre as 'Part XI-Official Language Cadre' as detailed in the enclosed Annexure-I shall be inserted after 'Part X - Miscellaneous Cadre' in the Appendix-I of the FCI (Staff) Regulations, 1971.

RAVINDER KUMAR JAIN, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./108/15]

Note : The Principal Regulation were published in the Gazette of India *vide* Notification dated 8-5-1971 and subsequently have been amended being lastly *vide* :—

Sl. No.	Title	Dated
1.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2007	15.05.2007
2.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2009	14.09.2009
3.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2010	20.03.2010
4.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2010	16.07.2010
5.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2010	20.07.2010
6.	FCI (Staff) (4th Amendment) Regulations, 2010	23.11.2010
7.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2011	13.04.2011
8.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
9.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
10.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2013	27.06.2013
11.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
12.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014

Annexure-I

PART-XI – OFFICIAL LANGUAGE CADRE

Sl. No.	Description of post	Scale of pay (Rs.)	Mode of recruitment	Promotion		Direct recruitment	Age Limit (Years)	Corresponding categories of posts in the Directorate Genl. of Food.	Remarks
				Selection/ Non-selection	Experience	Qualifications and experience, if any.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
CATEGORY-I POST:									
1.	Genl. Manager (Hindi)	32900-58000 (IDA)	100% By Promotion	Selection	4 years regular service as Dy. Genl. Manager (Hindi)	-	-	-	-
2.	Dy. Genl. Manager (Hindi)	24900-50500 (IDA)	100% By Promotion	Selection	5 years regular service as Asstt. Genl. Manager (Hindi)	-	-	-	-
3.	Asstt. Genl. Manager (Hindi)	20600-46500 (IDA)	100% By Promotion	Selection	5 years regular service as Manager (Hindi)	-	-	-	-
CATEGORY-II POST:									
4.	Manager (Hindi)	16400-40500 (IDA)	75% by Promotion failing which by direct	Selection	3 years regular service as Assistant	-	-	-	-

			recruitment. 25% by direct recruitment.		Grade.I (Hindi)	Essential:- (i) Master's Degree of a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level. <u>OR</u> Master's Degree of a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level. <u>OR</u> Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as a subject at the degree level. <u>OR</u> Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level. <u>OR</u> Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi Medium and English as a subject at the degree level. (ii) 5 years experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific literature. <u>OR</u> Five years experience of teaching/research writing or journalism in Hindi. Desirable:- (i) Knowledge of Sanskrit or a modern India Language. (ii) Administrative experience. (iii) Experience of organizing Hindi Classes or workshop for noting and drafting.	35		
CATEGORY-III POSTS:									
5.	Assistant Gr.I (Hindi)	11100- 29950 (IDA)	100% by Promotion	Non- Selection	3 years regular service as Asstt.	Essential:- (i) Master's Degree of a	35	-	-

					Grade.II (Hindi)	recognized University in Hindi/English with English/Hindi as a main subject at degree level. <u>OR</u> Master's Degree of a recognized University in any subject with Hindi and English as main subjects at degree level. <u>OR</u> Master's Degree of a recognized University in any subject with Hindi/English medium and English Hindi as main subjects at degree level. <u>OR</u> Master's Degree in Hindi/English or any other subject with Hindi/English medium with English/Hindi as a main subject or as medium of examination at degree level. (ii) Recognised Diploma/ certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or 2 years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Government offices, including Government of India Undertakings.			
6.	Assistant Gr.II (Hindi)	9900- 25530 (IDA)	Direct 100%	-	-	<u>Essential:-</u> (1) Degree of a recognized University with Hindi as the main subject. (2) Proficiency in English. (3) One year experience of translation from English to Hindi and vice-versa. <u>Desirable:-</u> Post Graduate qualification in Hindi.	28	-	-